सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम् सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम् सत्र मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011 राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
सप्तम् सत्र	4	अगस्त माह - 23, 26, 27 (शनिवार) एवं 29

सदन से बहिर्गमन

दिनांक 23 अगस्त, 2011 को श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा कराये जाने की मांग की तथा सदन में चर्चा नहीं कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

अध्यक्षीय व्यवस्था

1. समीक्ष्य सप्तम् सत्र में दिनांक 26 अगस्त, 2011 को सदन में कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाते समय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उन्होंने समिति के प्रतिवेदन में इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया है कि प्रतिवेदन में शासकीय विधेयकों पर सदन में विचार हेतु जो चार दिन नियत किये गये हैं उसके स्थान पर सात दिन नियत किये जायें। अतः प्रथमतः उनके संशोधन पर समिति की बैठक में विचार किया जाये उसके पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन में पुनः विचार किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि पूर्व परम्पराओं के अनुसार इस प्रकार के संशोधन नहीं रखे जाने चाहिए। माननीय उप नेता महोदय ने मान लिया है कि उन्होंने अपना संशोधन विदड्रा किया है। यदि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार के प्रश्न करने हों, तो उन्हें कार्य सलाहकार समिति की बैठक में पूछा जाना उपयुक्त रहता है।'

2. दिनांक 27 अगस्त, 2011 को जब गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रख रहे थे तब सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएँ सदन के पटल पर रख रहे हैं जिसके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट

के सात मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है। मुक्त करने का अधिकार सरकार को तब है जब समाज के किसी कमजोर वर्ग को प्रोत्साहन देना हो, जिसके पास इन्कम नहीं हो। आई.पी.एल. एक बहुत बड़ा खेल है खिलाड़ियों के लिए करोड़ों की बोली लगती है, करोड़ों रुपयों के विज्ञापन के ठेके दिये जाते हैं। मंत्री जी सदन को यह अवगत करायें कि आई.पी.एल. मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त करने के क्या कारण थे। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि 'माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि दिनांक 13 जुलाई, 2004 को श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखवाई जा रही हैं, उनमें कतिपय अधिसूचनाओं के द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को करोड़ों रुपये की कर से छूट किस आधार पर दी जा रही है? वित्त राज्य मंत्री पहले इसका स्पष्टीकरण दें, उसके पश्चात् अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखें। इस पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि जो अधिसूचनाएं विभागों के माध्यम से सदन की मेज पर रखवाये जाने हेतु प्राप्त होती हैं उनका जवाब देने के लिए आसन उत्तरदायी नहीं है। मंत्रीगण चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। माननीय सदस्य इस विषय में मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह जवाब दें।'

3. दिनांक 27 अगस्त, 2011 को ही कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी विधेयक, 2011 पर सदन में दिनांक 29.8.2011 को विचार हेतु तिथि नियत करते हुए विधेयक पर माननीय सदस्यों से संशोधन आज दिनांक 27.8.2011 के प्रातः 9.30 बजे तक प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है। मेरा निवेदन है कि विधेयक को 29.8.2011 को सदन में विचार हेतु रखा जाये ताकि सभी माननीय सदस्य इस पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर अपने सुझाव दे सकें। इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'कार्य सलाहकार समिति की दिनांक 26 अगस्त, 2011 की बैठक में राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी विधेयक, 2011 पर सदन में दिनांक 27.8.2011 को विचार हेतु तिथि नियत की गई थी उसके बाद विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन के लिए पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें यह प्रस्ताव आया कि उक्त विधेयक पर संशोधन शाम पाँच बजे तक मांग लिए जायें। मैंने इन्टरवीन करके उसमें यह लिखा कि विपक्ष मौजूद नहीं है ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों को उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक 27.8.2011 के प्रातः 9.30 बजे तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत की गई, यह रिकार्ड पर है। सदन की राय के अनुसार मैं सरकारी मुख्य सचेतक से अनुरोध करूंगा कि कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन में राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी विधेयक, 2011 पर सदन में सोमवार दिनांक 29.8.2011 को विचार हेतु रखते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत कर दें।' कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

4. दिनांक 27 अगस्त, 2011 को अनुपूरक अनुदान की मांगे मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाते समय श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधान सभा के छठे सत्र में राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग का वर्ष 2010-11 का प्रगति विवरण सदन के पटल पर नहीं रखा गया है, यही नहीं उस प्रगति प्रतिवेदन का वितरण माननीय सदस्यों में करवाये बिना ही गृह विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग सदन द्वारा पारित करवा ली गई है। अध्यक्ष पद से दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिवेदनों को सदन में अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान किये जाने की तिथि से एक दिन पूर्व आवश्यक रूप से माननीय सदस्यों को भिजवाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यवस्थायें दी गई हैं उन सब व्यवस्थाओं के बाद भी गृह विभाग का प्रगति प्रतिवेदन अभी तक माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ है, यह इतनी बड़ी गलती है। माननीय अध्यक्ष ने इसे गम्भीरता से लेते हुए विधान सभा सचिवालय तथा गृह मंत्री से गृह विभाग से पूरी जानकारी करने के बाद 29 अगस्त तक व्यवस्था सुरक्षित रखी। दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन में व्याप्त घोर अव्यवस्था के कारण व्यवस्था नहीं दी जा सकी।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 92 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1460 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 613 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 70 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 43 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 10 माननीय सदस्यों ने 9-9, पाँच सदस्यों ने 8-8, दो सदस्यों ने 7-7 तथा शेष 14 सदस्यों ने 5 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 3-3 प्रश्न श्री रामलाल गुर्जर तथा श्री बाबूलाल बैरवा के थे। आठ महिला सदस्यों द्वारा 64 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसमें 2-2 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती अनीता सिंह तथा श्रीमती अनिता भदेल के सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 847 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 130 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल सहित अन्य 17 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये । सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक पाँच प्रश्न श्री ओम बिरला तथा 4-4 प्रश्न श्री केसाराम चौधरी तथा श्री रामलाल गुर्जर के सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 3-3 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती निर्मला, श्रीमती कमला कस्वां तथा श्रीमती जाहिदा खां के सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 61 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 50 प्रश्न स्कूल शिक्षा विभाग, 43 प्रश्न राजस्व एवं 42 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 7 प्रश्न स्कूल शिक्षा विभाग, 6 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 5-5 प्रश्न राजस्व और नगरीय विकास एवं आवासन

विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 96 प्रश्न स्कूल शिक्षा विभाग, 78 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 54 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं 52 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 19 स्कूल शिक्षा विभाग, 16 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, 10 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा 9 ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

दलवार विश्लेषण किया जाये तो सातवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 448 तारांकित प्रश्नों में से 53 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के 119 में से 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 30 में से 4 तथा समाजवादी पार्टी के 9 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। निर्दलीय सदस्यों द्वारा दिये गये 7 तारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गये 617 प्रश्नों में से 87 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 188 में से 38, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 17 में से 2, निर्दलीय के 23 में से 2 तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्य द्वारा दिया गया 1 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 549 तारांकित प्रश्नों में से 64 तथा अतारांकित प्रश्नों 719 में से 112 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 64 तारांकित प्रश्नों में से 6 सूचीबद्ध हुए तथा 14 सदस्याओं के 128 अतारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 63 तारांकित प्रश्नों में से 6 तथा 86 अतारांकित प्रश्नों में 9 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिया गया 1 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ तथा 27 अतारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय सदस्याओं द्वारा दिये गये 15 अतारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्न ही सूचीबद्ध हुए।

दिनांक 26 अगस्त, 2011 को व्यवधान के कारण एक ही प्रश्न पूछा गया तथा 11.07 मिनट पर सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी गई एवं 27 अगस्त, 2011 को शनिवार के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य सप्तम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 15 माननीय सदस्यों के 20 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 3 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 13 सदस्यों ने 16 प्रस्ताव तथा माकपा के 2 सदस्यों ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अनीता सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री ओम बिरला, श्री राजेन्द्र राठौड़ तथा माकपा के

श्री अमरा राम तथा श्री पेमाराम ने सर्वाधिक 2-2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उल्लेखनीय है कि सत्र के दौरान दिनांक 26 तथा 29 अगस्त, 2011 को ही स्थगन प्रस्ताव आये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 18 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 7 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 12 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 13 सदस्यों ने 14 तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 सदस्यों ने 5 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 3 सूचनाएँ श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (भारतीय जनता पार्टी) एवं श्रीमती निर्मला सहरिया तथा श्रीमती मंजू देवी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) द्वारा प्रस्तुत की गईं। भारतीय जनता पार्टी के श्री कानसिंह कोटड़ी द्वारा सर्वाधिक दो सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से दिनांक 29 अगस्त, 2011 को 3 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 3 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से श्री कालीचरण सराफ द्वारा प्रस्तुत विषय पर गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल द्वारा अभियुक्ति दी गई । विषय उठाने वाले अन्य सदस्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री मदन प्रजापत तथा भारतीय जनता पार्टी के श्री कालीचरण सराफ तथा महिला सदस्य श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा द्वारा एक-एक विषय उठाया गया।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 अगस्त, 2011 को प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्नकाल स्थगित किया जाकर भ्रष्टाचार पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोलने के कारण सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। सदन की बैठक प्रथम बार एक घण्टे तथा बाद में आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी गई।
2. दिनांक 29 अगस्त, 2011 को श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री द्वारा पुलिस विभाग के प्रगति प्रतिवेदन को माननीय सदस्यों को समय पर वितरित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में खेद प्रकट करते हुए सदन को जानकारी दी। इस दौरान भाजपा सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों के वैल में आकर नारेबाजी किये जाने के फलस्वरूप सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान व्याप्त हो गया। इस अव्यवस्था के कारण सदन की बैठक पाँच बार आधे-आधे घण्टे तथा एक बार एक घण्टे के लिए स्थगित की गई।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सप्तम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 50, राजकीय उपक्रम समिति के 21, प्राक्कलन समिति 'क' एवं 'ख' के 3-3, कार्य सलाहकार समिति के 2 तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति, सरकारी

आश्वासनों सम्बन्धी समिति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 27 अगस्त, 2011 को कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर चर्चा हुई। चर्चा में श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, श्री नरपत सिंह राजवी, श्री पेमाराम, श्री रतन देवासी, श्री ओम बिड़ला तथा श्री अलाउद्दीन आजाद ने विचार व्यक्त किये। दिनांक 29 अगस्त, 2011 को भारी शोरगुल तथा अव्यवस्था के कारण सदस्यों द्वारा विचार प्रकट नहीं किये जा सके।

शासकीय संकल्प

सप्तम् सत्र के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2011 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री एमादुद्दीन अहमद खान 'दुर्रूमियां' द्वारा विचार एवं पारण हेतु निम्नांकित संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया -

'यतः राजस्थान विधान सभा यह समझती है कि देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और यतः संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिए विधियां बनाने की शक्ति नहीं है;

और यतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान-मण्डलों के समस्त सदनों द्वारा इस प्रभाव के संकल्प पारित किये गये हैं कि उन राज्यों में उपरोक्त विषय संसद द्वारा विधि द्वारा विनियमित किये जाने चाहिए;

और यतः नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) का विस्तार प्रथमतः संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में है;

और यतः उक्त अधिनियम ऐसे अन्य राज्यों पर लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड(1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हैं;

और यतः, राजस्थान विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) राजस्थान राज्य में भी अंगीकृत किया जाना चाहिए;

अतः अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में राजस्थान विधान सभा इसके द्वारा यह संकल्प पारित करती है कि नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) राजस्थान राज्य में भी अंगीकृत किया जाये।'

सदस्य का निलम्बन

सप्तम् सत्र के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 292 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

'आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन की कुछ समय के लिए स्थगित कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने हेतु आसन पर सभापति तालिका में मनोनीत सभापति श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत आसन पर पीठासीन हुए तब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में नारे लगाते हुए इकट्ठे हुए और उन्हें जबरन अपना निर्णय थोपने हेतु बाध्य करने का प्रयास किया तथा सभापति को धमकाते हुए कहा कि तुमने गृह मंत्री के वक्तव्य को मेज पर कैसे रख दिया हम तुम्हें इस चेयर पर नहीं बैठने देंगे। जिसके फलस्वरूप उन्हें सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करनी पड़ी । इसके पश्चात् भी सदन की कुछ समय के लिए स्थगित कार्यवाही को पुन: प्रारम्भ करने से सभापति महोदय को चेयर पर जाने से रोकने हेतु प्रतिपक्ष के उप नेता के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मानव श्रंखला के रूप में खड़े होकर उन्हें आसन पर आरूढ़ होने से रोकने का प्रयास किया लेकिन मार्शल द्वारा अध्यक्ष महोदय के आने की सूचना देने तथा अध्यक्ष महोदय के आने पर प्रतिपक्ष के उप नेता की अगुवाई में प्रतिपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।

सदन के ऑर्डर में आने पर अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा को पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया । श्रीमती कुण्डारा ग्राम पंचायत काठावाला, पंचायत समिति चाकसू में जमीन संबंधी अपने विचार रख रही थीं उसी दौरान सत्तापक्ष के माननीय सदस्य डॉ. रघु शर्मा व श्रीमती कुण्डारा के बीच कहासुनी होने पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पुन: वैल में आ गये । इतना ही नहीं प्रतिपक्ष की ओर से सत्तापक्ष की ओर एक चप्पल फैंकी गई। प्रतिपक्ष के सदस्य का उक्त कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन व निंदनीय तथा राजस्थान विधान सभा के इतिहास में शायद यह पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । प्रतिपक्ष के श्री भवानी सिंह राजावत लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का उक्त कृत्य निंदनीय है व उनका यह आचरण सदन की गरिमा गिराने वाला है । अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भाजपा के सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये।' सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

सप्तम् सत्र में दिनांक 26 अगस्त, 2011 को गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने वर्ष 2011-2012 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 2006-2007 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया । आसन द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2011 को मुखबंद का प्रयोग कर अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक की मांगें पारित की गईं ।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

सप्तम् सत्र में दिनांक 23 अगस्त, 2011 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये -

1. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 3)
2. महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 4)
3. जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 5)
4. मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 6)
5. प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 7)
6. सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 8)
7. मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 9)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
25/2011	राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011	23.8.2011	27.8.2011	27.8.2011
26/2011	राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011	23.8.2011	29.8.2011	29.8.2011
27/2011	राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011	23.8.2011	29.8.2011	29.8.2011
28/2011	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011	23.8.2011	27.8.2011	27.8.2011
19/2011	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011

20/2011	आई.सी.एफ.ए.आई विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011
21/2011	प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011
22/2011	सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011
23/2011	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011
24/2011	महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011
30/2011	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी विधेयक, 2011	26.8.2011	29.8.2011	29.8.2011
29/2011	राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011	26.8.2011	29.8.2011	29.8.2011
18/2011	राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011	27.8.2011	27.8.2011	27.8.2011
17/2011	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011	27.8.2011	27.8.2011	27.8.2011

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य सप्तम् सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[23.08.2011]	
1. डॉ. पी.सी. एलेक्जेण्डर	पूर्व राज्यपाल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र	10.08.2011
2. श्री दोरजी खाण्डू	मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	30.04.2011
3. श्री भजन लाल	पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा	03.06.2011
4. श्री दौलतराम सारण	पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सदस्य 2, 3 व 4 रा.वि.स. 6, 7 व 9वीं लोक सभा	02.07.2011
5. श्री तकीउद्दीन अहमद	पूर्व राज्य मंत्री एवं सदस्य, 7 व 11वीं रा.वि.स.	24.07.2011
6. श्री रामदेव सिंह	पूर्व मंत्री एवं सदस्य, 2 से 4 तथा 6 से 9वीं रा.वि.स.	03.04.2011
7. श्री डूंगरराम पंवार	पूर्व उप मंत्री एवं सदस्य, 6, 8 व 9वीं रा.वि.स.	23.06.2011

8. श्री कालूलाल खटीक	सदस्य, 11वीं रा.वि.स.	17.05.2011
9. श्री सुखलाल सैणचा	सदस्य, 5, 6, 7 एवं 10वीं रा.वि.स.	04.07.2011
10.श्री सुनील कुमार विश्नोई	सदस्य, 7 एवं 9वीं रा.वि.स.	13.08.2011
11.श्री डूंगाराम राजोरिया	सदस्य, तीसरी एवं चौथी रा.वि.स.	18.05.2011
12.श्रीमती उमा माथुर	सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा	31.03.2011
13.श्री भवानी सिंह	महावीर चक्र से सम्मानित	16.04.2011

मुम्बई बम विस्फोट (13.7.2011), मथुरा-छपरा एक्सप्रेस व बस की भिड़न्त (7.7.2011) एवं कालका एक्सप्रेस दुर्घटना (19.7.2011) के मृतकों के प्रति संवेदना ।

✧✧✧